रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 1979/आषाढ़ 13, 1901
No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 1979/ASADHA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1979

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 432 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 57/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 'अपशिष्ट' से निम्नलिखित अभिप्रेत है" :—

(1) कम लम्बे टुकड़ों का उलझा हुआ ढेर, जिसे पर्याप्त श्रम के बिना सुलझाया नहीं जा सकता है" ;

या

(2) कम लम्बे टुकड़े, जो 1.8 मीटर से बड़े नहीं हैं, भले ही वे उलझे हुए ढेर के रूप में नहीं हैं और रस्सी या डोरी के विनिर्माण के लिए प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं।"

(222/79)

[अधिसूचना सं. 222/79-सी. ई./फा. सं. 45ए/1/75-सी एक्स 2]

टी. वी. साइराम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th July, 1979

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 57/72-Central Excises dated the 17th March, 1972 namely :—

In the said notification the following Explanation shall be added at the end, namely :—

"Explanation—For the purposes of this notification 'waste' means—

(1) a tangled mass of short lengths not capable of being disentagled without considerable labour ; or

(2) short lengths not exceeding 1.8 metre, even if they are not in the form of a tangled mass and not capable of being used in the manufacture of rope or cord."

(222/79)

[Notification No. 222/79-CE/F. No. 45A/1/75-CX. 2]

T. V. SAIRAM, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979